संख्या -02/सीपी 384/84-2-2013-1(वि0)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 जनवरी, 2014

विषय श्री रिफाकत अली, कनिष्ठ लिपिक को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु मार्गदर्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2330/एससीडीआरसी/अधि.मिस. 68/05, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार श्री रिफाकत अली को 14 वर्षीय सेवा पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को अनुमन्य हुआ एवं श्री अली की पदोन्नति वेतनमान रूपये 4000-6000 में दिनांक 02 अगस्त, 2007 को की गयी, जिसे श्री अली द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब श्री अली द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अपने प्रार्थना पत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है किन्तु आपके पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि श्री अली द्वारा उक्त पद पर पदोन्नति हेतु सहमति देने के पश्चात उनके कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत हुए हैं अथवा नहीं और यदि उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तो किस तिथि से? अत: कृपया उक्त सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in